

8-1-19

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 22-1-19 को पेश हो

22-1-19

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 12-2-19 को पेश हो

12-2-19

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 09-3-19 को पेश हो

19-3-19

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 29-4-19 को पेश हो

30-4-19

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 2-7-19 को पेश हो

17-5-19

प्रार्थी बाबूबां पुत्र जुम्मायां जाति मुसलमान
निवासी डिडवाना हाल निवासी कस्बा लालसोट
तहसील लालसोट द्वारा मिसल तलमी जर्नल पत्र
पेश करने पर पत्रावली आज पेश की गई। प्रार्थी
द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत जर्नल पत्रावली (प) को
बिद्धा करने एवं मां न्यायालय राजस्व मंडल
राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रुन्टिनी जर्नल
पत्र 2018/5470 में पारित विवेक दिनांक 15-3-19
की सत्यपति प्रस्तुत की गई। प्रार्थी को सुना गया
एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जर्नल पत्र
का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन



बाबूबां

(Signature)

जिला न्यायाधीश
अजमेर

तारीख
हुक्म

न्यायालय अति० जिला कचहदर, दोसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

क्र.नं. 1/2018 पृष्ठ 14(4) बाबू बाबा राम सरकार

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

क्रिया गया कि पक्षद्वारा के मध्य आपस में
समझौता हो जाने से प्राची इस न्यायालय में
विचाराधीन प्राचीना पत्र 14(4) को आगे नहीं
चलाना चाहता है। इसलिये प्राचीना पत्र विद्वा मरुत
द्वारा प्राचीना पत्र को खारिज करने की स्था करें।
मा० राजम मण्डल राजस्थान कोजमेर द्वारा पारित
निर्देश दिनांक 15-3-19 की प्रति का अवलोकन
करने पर निर्देश में कंकितापुर प्राचीना पत्र
स्थानांतरण खारिज किया जा चुका है।

प्राची द्वारा की गई बहल परमन किया
गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीना पत्र 14(4) मूलका
एच विरुद्ध भूमि आबंटन कोर्ट दिनांक
4-7-1968 बहल जगन्नाथ पुत्र धामूलाल
जाति ब्राह्मण निवासी देहलाल लक्ष्मीलाल कोट
को विद्वा करने हेतु प्रस्तुत प्राचीना पत्र
स्वीकार किया जाता है प्राची द्वारा प्रस्तुत
प्राचीना पत्र 14(4) खारिज किया जाता है।
निर्देश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय
का मूल रिमांड वापस भिजवाया जावे।
पत्रावली केसल शुमार दफ्तर नम्बर संक्रम
हो एवं प्रविष्ट लेख गठार हो। निर्देश आज
दिनांक 17-5-19 का खुले न्यायालय में भेरे
गये पुनाया गया।

बाबू बाबा



(Signature)

अति० जिला कचहदर
दोसा

